Seventeenth Loksabha

pan>

Title: Need to appoint interpreters of Santhali language in both Chambers of Parliament House.

श्री खगेन मुर्मु (माल्दहा उत्तर): माननीय सभापति जी, शून्य काल में अत्यंत महत्वपूर्ण विषय को उठाने की अनुमति देने के लिए मैं सर्वप्रथम आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि भारत में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों में सबसे बड़ी संख्या संथाल की है। इसे देखते हुए हमारे देश के तत्कालीन प्रधान मंत्री, हम सब के आदर्श स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पहल पर सन् 2003 में 92 वें संविधान संशोधन के द्वारा संथाली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया, जो वर्ष 2004 से लागू हुआ। जनजातीय समाज के प्रति स्वर्गीय अटल जी द्वारा दिए गए इस सम्मान के लिए मैं पूरे जनजातीय समाज की तरफ से सराहना करता हूं और हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि सन् 2004 से आज तक लगभग 17 वर्ष बीतने के बाद भी सदन में संथाली भाषा के द्विभाषीय व्याख्याकार की नियुक्ति नहीं की गई है, जिसके कारण इस भाषा का समुचित विकास नहीं हो पा रहा है। संसद के दोनों सदनों में कई माननीय सांसद संथाली भाषा से हैं, जो चाहकर भी अपनी बात संथाली भाषा में नहीं कर पाते हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से संसद के दोनों सदनों में संथाली भाषा के द्विभाषीय व्याख्याकार की स्थायी रूप से नियुक्ति का प्रस्ताव करता हूं। धन्यवाद।